राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 3629/III/2014 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

24.6.14

यह निगरानी तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 106/अ-12/08-09 में पारित आदेश दिनांक 24-7-09 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 27-9-13 को प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी की ग्राह्यता पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 24-7-09 की कोई सूचना उन्हें नहीं मिली। सीमांकन आदेश की जानकारी पहलीवार हलका पटवारी के बतलाने पर दिनांक 7-9-13 को हुई , उसके वाद नकल का आवेदन दिया और 9-9-13 को नकल मिलने पर जानकारी के दिन से समयावधि में निगरानी की गई है जिसे ग्राह्य किया जाकर सुनवाई की जावे। अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने मेड़िया कास्तकारों को सूचना देकर मौके पर जाकर मेढ़िया कास्तकारों के रामक्ष भूमि का सीमांकन किया है और सीमांक में आवेदक व्दारा अनावेदक की 0.100 हैक्टर भूमि पर अवैध कब्जा करना पाया गया। उन्होंने निगरानी समयवाह्य प्रस्तुत होना बताया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव तहसीलदार पलेरा के आदेश दिनांक 24 7-29 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को आधार मानकर आदेश पारित किया है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 16-7-09 का अंश उद्धरण इस प्रकार है -

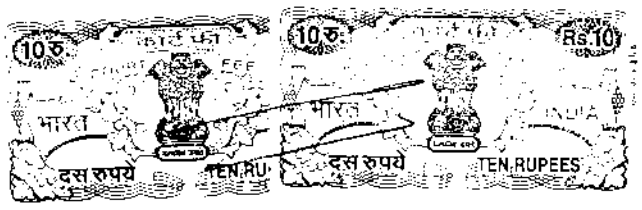

10 रु. भारत दस रुपये TEN RU
10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष :- माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर F/60

[illegible] उम्र 72 वर्ष पेशा खेती

निवासी- ग्राम महाहार तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़

...पुनरीक्षणकर्ता

R-3629-III/13

।। बनाम ।।

भगवानदास वल्द ठलू यादव

निवासी-ग्राम महाहार तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़

...अनावेदक

27/9/13

ता.पेशी

पुन.प्र.क्रं.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रा.संहिता

पुनरीक्षणकर्ता निम्न प्रार्थना करता है:-

0 पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण माननीय तहसीलदार पलेरा द्वारा राजस्व प्र0क्र0 1063/12 वर्ष 2008-09 में पारित आदेश दिनांक 24.7.09 से परिवेदित होकर निम्न आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है।

30/10/13

।। पुनरीक्षण के आधार ।।

1. यह कि, माननीय निम्न न्यायालय अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता को हितबद्ध पक्षकार होने के बाद भी सूचना दिये बगैर अनावेदक के पक्ष में एकपक्षीय तौर पर विधि विरुद्ध सीमांकन आदेश पारित किया है। जो आदेश [illegible] विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रकरण में अनावेदक की जमीन पर आवेदक का बेजाकब्जा होना लेख किया है इस कारण पुनरीक्षणकर्ता को उक्त सीमांकन प्रकरण में सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनरीक्षणकर्ता के सामने सीमांकन कार्यवाही का जाना भी विधि पूर्वक

..2..